



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3241]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2017/कार्तिक 30, 1939

No. 3241]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017/KARTIKA 30, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

का.आ. 3695(अ)—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

सारणी-2 में, क्रम संख्या 12 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	एतदधीन परिभाषित परीक्षण के विस्तार के अनुसार पूरे भारत में
(1)	(2)	(3)
"13.	निदेशक, राष्ट्रीय परामर्श प्रयोगशाला, आईसीएआर- राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे। पो.ऑ. मन्जीरी फॉर्म, सोलापुर रोड, पुणे-412307, महाराष्ट्र	पौधे मूल के भोजन में कीटनाशकों के अवशेषों, माइक्रोटॉक्सिन और स्थायी जैविक संदूषण (ऑर्गेनोक्लोरीन, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डाइऑक्सिन जैसे पॉलीक्लोरीनयुक्त बायफिनाईल) का विश्लेषण

14.	निदेशक, कीटनाशक निर्माण और अवशेष विश्लेषण केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (रावस्वाप्रसं), हैदराबाद राजेन्द्र नगर, हैदराबाद- 500030, तेलंगाना	खाद्य वस्तुओं में कीटनाशकों के अवशेषों का विश्लेषण”
-----	--	---

[फा. सं. 12011/03/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2017

**S.O. 3695(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10<sup>th</sup> January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12<sup>th</sup> January, 2017, namely:—

In TABLE-2, after serial number 12, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely,—

Serial No.	Name of the Referral Food Laboratory	All over India - as per Scope of Testing defined hereunder
1	2	3
“13.	Director, National Referral Laboratory, ICAR–National Research Centre for Grapes, Pune P.O. Manjiri Farm, Solapur Road, Pune– 412307, Maharashtra	Analysis of pesticide residues, Mycotoxins and persistent organic contaminants (organochlorines, polyaromatic hydrocarbons, dioxin like polychlorinated biphenyls) in the foods of plant origin
14.	Director, Pesticide Formulation and Residue Analytical Centre, National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad Rajendranagar, Hyderabad – 500030, Telangana	Analysis of pesticide residues in food commodities”

[F. No. 12011/03/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 97(E), dated the 10<sup>th</sup> January, 2017.